Rajasthan Technical University, Kota
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा
Rawatbhata Road, Akelgarh Kota – 324010
Ph No.-0744-2473903 Fax No.- 0744-2473033,e-mail ID financeofficerrtu@gmail.com

14वीं वित्त समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण (प्राधिकार : राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 25)		
स्थल	:	कुलपति सचिवालय सभा कक्ष
दिनांक	:	29 मई 2015, मंगलवार
समय	:	प्रातः 10.30 बजे

Rajasthan Technical University, Kota
Rawat Bhata Road Akelgarh - 324010
Ph No. -0744-2473092,2473903, Fax No. 0744-2473033

क्रमांक/एफ(3)/लेखा/132/14वीं वित्त समिति/2015–16/710-19 दिनांक 03.6.15

प्रेषिति –

1 प्रो. विनय कुमार पाठक, अध्यक्ष, वित्त समिति,
कुलपति, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा

2 श्री आबिद खान, सदस्य, वित्त समिति
वित्त सलाहकार, सी.ए.डी., कोटा
वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर

3 श्री पवन कुमार गोयल, सदस्य, वित्त समिति
तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर

4 प्रो. एन.पी. कौशिक, सदस्य, वित्त समिति
प्रतिकुलपति, आर.टी.यू., कोटा

5 प्रो. संजीव मिश्रा, सदस्य, वित्त समिति
कुलसचिव, आर.टी.यू., कोटा

6 श्री प्रवीण कुमार, सदस्य, वित्त समिति
परीक्षा नियंत्रक, आर.टी.यू., कोटा

7 श्री गजानन्द सोनी, वित्त नियंत्रक
सदस्य सचिव, वित्त समिति, आर.टी.यू., कोटा

विषय : 14वीं वित्त समिति का कार्यवाही विवरण।

महोदय,

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय की 14वीं वित्त समिति की बैठक दिनांक 29 मई, 2015 को कुलपति सचिवालय में आयोजित की गई। उक्त बैठक का कार्यवाही विवरण एवं राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा की निजी आय एवं व्यय का वर्ष 2015–16 का संशोधित एवं समेकित बजट अनुमान माननीय कुलपति महोदय एवं अध्यक्ष वित्त समिति के अनुमोदन उपरांत संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय,

गजसोनी

सदस्य सचिव एवं वित्त नियंत्रक
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा

Rajasthan Technical University, Kota

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा

Rawatbhata Road, Akelgarh Kota – 324010

Ph No.-0744-2473903 Fax No.- 0744-2473033,e-mail ID **financeofficerrtu@gmail.com**

कार्यवाही विवरण
(14वीं वित्त समिति की बैठक दिनांक 29 मई, 2015)

वि.स.क्र. 14.1 : **राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय की निजी आय एवं व्यय का वर्ष 2015–16 के लिए विश्वविद्यालय की प्राथमिकता एवं मितव्ययता की दृष्टि से प्रस्तुत संशोधित बजट अनुमान के अनुमोदन के सम्बन्ध में:–** **(वित्त नियंत्रक)**

- माननीय कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय में प्रचलित कार्यालयाध्यक्ष प्रणाली को आदेश क्रमांक RTU/VCS/F(1)11/2015/2867-86 दिनांक 19.05.2015 द्वारा समाप्त करते हुए विश्वविद्यालय के समस्त क्रय, सम्पदा एवं वित्त सम्बंधी कार्य वित्त विभाग को अधिकृत किया गया हैं।
- निदेशक अकादमिक द्वारा अवगत कराया गया है कि केम–2015 (Centralization Admission for M.Tech 2015) की प्रवेश प्रक्रिया सम्पादन करने हेतु निदेशक अकादमिक को माननीय कुलपति महोदय द्वारा अधिकृत किया गया है जिसके अनुसरण में निदेशक अकादमिक द्वारा केम–2015 के समक्ष आय एवं व्यय के बजट अनुमान विश्वविद्यालय बजट में सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये।
- उक्त आदेशों एवं प्रस्ताव के क्रम में विश्वविद्यालय की प्राथमिकता एवं मितव्ययता को ध्यान में रखते हुए 13वीं वित्त समिति के बिन्दु संख्या 13.5 से अनुमोदित वर्ष 2015–16 के लिए बजट अनुमान (आय–व्यय) को विभिन्न शीर्षो (Object Head) के अन्तर्गत संशोधित एवं समेकित करते हुए वित्त वर्ष 2015–16 के लिये निम्नानुसार संशोधित बजट अनुमान (आय–व्यय) समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया। **(परिशिष्ट 1 पृष्ठ संख्या 9 से 15 तक)**

बजट अनुमान आय – राशि रू. 8613.94 लाख
बजट अनुमान व्यय – राशि रू. 8613.85 लाख

संकल्प : **समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन तथा आवश्यक विचार विमर्श उपरांत :–**

- **विभिन्न शीर्षो** (Object Head) **के अन्तर्गत संशोधित एवं समेकित बजट अनुमान (आय–व्यय) 2015–16 अनुमोदित किये गये।**
- **केम–2015** (Centralization Admission for M.Tech 2015) **की प्रवेश प्रक्रिया हेतु प्रक्रिया शुल्क राशि रू. 1500/– प्रति अभ्यर्थी (एस.सी./एस.टी.) एवं राशि रू. 3000/– प्रति अभ्यर्थी (अन्य वर्ग) के प्रस्ताव {पूर्व में स्वीकृत प्रक्रिया शुल्क राशि रू. 500/– प्रति अभ्यर्थी (एस.सी./एस.टी.) एवं राशि रू. 1000/– प्रति अभ्यर्थी (अन्य वर्ग) के स्थान पर} अनुमोदित किये गये।**
- **केम–2015 की प्रवेश प्रक्रिया संबंधी आय एवं व्यय को विश्वविद्यालय बजट में सम्मिलित करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।**

- **साथ ही विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागाध्यक्षों को प्रतिदिन के छुट–पुट खर्चो हेतु राशि रू. 50000/– अधिकतम की सीमा में आरटीयू. अधिनियम, 2006 की धारा 15(iii) के अनुसार स्थायी पेशगी स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।**

<u>वि.स.क्र. 14.2</u> : <u>विश्वविद्यालय की परीक्षा फीस की दरों में वृद्धि करने के सम्बंध में :–</u> (परीक्षा नियंत्रक)

- सप्तम वित्त समिति के टेबल कार्यसूची बिन्दु संख्या 7.7 द्वारा लिये गये निर्णयानुसार एवं प्रबन्ध मण्डल की 13वीं बैठक के बिन्दु संख्या 13.4.5 के अनुमोदनानुसार परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ(23)3.2/आर.टी.यू.–परीक्षा/2010–11/3189–94 दिनांक 07.06.2012 द्वारा परीक्षा सम्बंधी विभिन्न प्रकार की परीक्षा शुल्क/दरों का निर्धारण किया गया है (प्रति संलग्न)।
- उक्त दरों का निर्धारण लगभग 3 वर्ष पूर्व किया गया था। अतः परीक्षा नियंत्रक द्वारा मूल्य सूचकांक एवं परीक्षा संचालन सम्बंधी कार्यो की लागतों में वृद्धि होने से परीक्षा शुल्क/दरों में वित्त वर्ष 2015–16 से निम्नानुसार वृद्धि करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। **(परिशिष्ट 2 पृष्ठ संख्या 16. से 19 तक)** :–

Course	Particulars	Existing Fee Rate	Revised Fee Rate
Under Graduate	**Main Exam** For examination conducted annually	Rs. 1100/- per examination for annual scheme	Rs. 1200/- per examination for annual scheme
	For examination couducted per semester without project work	Rs. 850/- per semester	Rs. 1200/- per semester
	For examination couducted per semester with project work	Rs. 1100/- per semester	Rs. 1200/- per semester
	Back Exam For examination conducted annually & Semesters	Rs. 300/- each subject with maximum equal to fee for main examination	Rs. 400/- each subject
	Back Project Exam.	Rs. 300/- per subject	Rs. 400/- per subject
	Improvement in sessional and/or term tests	Rs. 60/- per subject	Rs. 100/- per subject
Post Graduate Degree & Diploma	**Main Exam** For examination conducted annually	Rs. 1700 per examination for annual scheme	Rs. 1800 per examination for annual scheme
	For examination couducted per semester	Rs. 1100 per semester	Rs. 1500 per semester
	Back Exam. For examination couducted annually & for examination conducted per semester	Rs. 300/- each subject with maximum equal to fee for main examination	Rs. 400/- each subject
	Thesis/Project	Rs. 550/-	Rs. 800/-
Doctoral/ Post Doctoral	Student Registration	Rs. 1100/-	Rs. 1500/-
	Renewal of registration	Rs. 850/-	Rs. 1000/-
	Snynopsis Presentation	Rs. 1650/-	Rs. 2000/-
	Thesis Submission Including Evaluation	Rs. 1650/-	Rs. 2000/-
	Re-Submission of thesis is re-evaluated by previous examiner has been desired	Rs. 1650/-	Rs. 2000/-
	Revalation Fee	Rs. 250/-	Rs. 400/-

अतः उक्त प्रस्ताव समिति के समक्ष अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये गये।

संकल्प : • **समिति द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव आवश्यक विचार विमर्श उपरांत अनुमोदित किये गये। ये प्रस्ताव वित्तीय वर्ष 2015–16 के शैक्षणिक सत्र से लागू होंगे।**

वि.स.क्र. 14.3 : **विश्वविद्यालय की सम्बद्धता शुल्क की दरों में वृद्धि करने के सम्बंध में :– (निदेशक अकादमिक)**

- वर्तमान में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों/संस्थाओं से विश्वविद्यालय के सम्बद्धता नियमों के अनुसार निम्नांकित सम्बद्धता शुल्क एवं NOC शुल्क प्राप्त करने के प्रावधान हैं, जिनका निर्धारण लगभग 8 वर्ष पूर्व किया गया था। अतः निदेशक अकादमिक द्वारा मूल्य सूचकांक एवं तत्सम्बंधी कार्यो की लागतों में वृद्धि होने से उक्त दरों में वित्त वर्ष 2015–16 से निम्नानुसार वृद्धि करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। **(परिशिष्ट 3 पृष्ठ संख्या 20 से 29 तक)**

(A) Affiliation fee:-

S.No.	PARTICULARS	EXISTING AFFILATION FEE	REVISED AFFLIATION FEES
1.	B.TECH OR B.ARCH	Rs. 50000/- for first course (branch) of each programme and Rs. 25000/- for every subsequent course (branch)	Rs. 100000/- for first course (branch) of each programme and Rs. 50000/- for every subsequent course (branch)
2.	MBA OR MCA OR BHMCT	Rs. 50000/- for each course Programme	Rs. 100000/- for each course Programme
3.	M.TECH	Rs. 25000/- for each course (Specialization)	Rs. 50000/- for each course (Specialization)
4.	DUAL DEGREE	Rs. 50000/- for each programme	Rs. 100000/- for each programme
5.	INTEGRATED PROGRAMME	Rs. 50000/- for each programme	Rs. 100000/- for each programme
6.	VARIATION OF INTAKE	Rs. 25000/- for any variation in intake in existing programme (incresase/decrease) up to 30 seats or fraction thereof, not application to the cases of opening and closure of course/programme	Rs. 40000/- for any variation in intake in existing programme (incresase/decrease) up to 30 seats or fraction thereof, not application to the cases of opening and closure of course/programme

(B) Issue of NOC:-

S. NO.	PATICULARS	EXISTING FEE FOR NOC(S)	REVISED FEE FOR NOC(S)
1.	Change of Name of Institute	Rs. 50000/-	Rs. 100000/-
2.	Change of location/address	Rs. 50000/-	Rs. 100000/-
3.	Conversion from "Women only" to "Co-Ed"	Rs. 50000/-	Rs. 100000/-
4.	Closure of Course(s)/branch/each Programme	Rs. 50000/-	Rs. 50000/-
5.	Closure of Institution	Rs. 50000/- for each programme, subject to a maximum of Rs. 1.50 lacs	Rs. 50000/- for each programme, subject to a maximum of Rs. 2.5 lacs

अतः उक्त प्रस्ताव समिति के समक्ष अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये गये।

संकल्प : • **समिति द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। ये प्रस्ताव वित्तीय वर्ष 2015–16 से लागू होंगे। राजकीय महाविद्यालयों/संस्थानों के सम्बंध में उक्त वृद्धि लागू करने के पूर्व राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 35(vii) के अनुसार राज्य सरकार से पूर्वानुमति लिया जाना अनिवार्य होगा।**

<u>वि.स.क्र. 14.4</u> : <u>आरटीयू डेट (पी.एच.डी.) परीक्षा वृद्धि के सम्बंध में :–</u> (डीन रिसर्च)

• वर्तमान में विश्वविद्यालय द्वारा आरटीयू डेट परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों से राशि रू. 500/– प्रति छात्र परीक्षा शुल्क प्राप्त किये जाने के प्रावधान लागू हैं। डीन रिसर्च द्वारा मूल्य सूचकांक में वृद्धि के आधार पर उक्त परीक्षा शुल्क में राशि रू. 2000/– तक वृद्धि करने के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं। **(परिशिष्ट 4 पृष्ठ संख्या 30 से 31 तक)**

अतः प्रकरण समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये गये।

संकल्प : **समिति द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। ये प्रस्ताव शैक्षणिक सत्र 2015–16 से लागू होंगे।**

<u>वि.स.क्र. 14.5</u> : <u>अतिथि गृह में आवास, भोजन एवं समारोह स्थल की दरों में वृद्धि करने के सम्बंध में :–</u> (सम्पदा अधिकारी)

• वित्त समिति की 13वीं बैठक के बिन्दु संख्या 13.18 पर लिये गये संकल्प के अनुसरण में सम्पदा अधिकारी द्वारा विश्वविद्यालय के अतिथि गृह के कमरों में ठहरने, भोजन एवं समारोह स्थल की दरों में वृद्धि करने के

प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं। **(परिशिष्ट संख्या 5 पृष्ठ संख्या 32 से 34 तक)**

अतः प्रकरण समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये गये।

संकल्प : **समिति द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव का अवलोकन कर प्रस्तावित दरों को स्वीकृत करते हुए भोजन हेतु लंच व डिनर की प्रस्तावित दरें (क्रमशः रू. 175/– व रू. 200/–) के स्थान पर राशि रू. 125/– प्रति लंच/प्रति डिनर की दर अनुमित की गयी।**

<u>वि.स.क्र. 14.6</u> : **<u>राजस्थान लोक उपापन एवं पारदर्शिता अधिनियम–2012, नियम 2013 एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम पार्ट–II के नियम 38B के अनुसार विश्वविद्यालय में राशि रू0 25.00 लाख तक के उपापन (संकर्म) को ई–टेण्डरिंग प्रणाली से शिथिलता प्रदान करने के सम्बंध में :–</u> (सम्पदा अधिकारी)**

- 13वीं वित्त समिति की बैठक के टेबल कार्यसूची बिन्दु संख्या 13.1 पर राशि रू. 2.00 लाख व अधिक के समस्त उपापन ई–टेण्डरिंग द्वारा अधिनियम व नियमों तथा विहित प्रक्रियाओं के अनुसार अनिवार्यतः लागू करने का निर्णय लिया गया है।
- इसके क्रम में सम्पदा अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि सम्पदा विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के उपापन (संकर्म) छुट–पुट किये जाते हैं, यथा डी.जी. सेट मरम्मत कार्य, ए.सी./वाटर कूलर मरम्मत कार्य, फर्नीचर एवं वाहन मरम्मत कार्य इत्यादि। इस प्रकार के कार्य एवं सेवाओं हेतु प्रायः छोटी बोली लगाने वाले, ई–टेण्डरिंग प्रणाली से परिचित व उसमें प्रवीण नहीं होते हैं, जिससे बोलियों की न्यूनतम संख्या भी प्रभावित हो सकती है। अतः सम्पदा अधिकारी द्वारा उपापन (संकर्म) हेतु ई–टेण्डरिंग की सीमा राशि रू. 2.00 लाख के स्थान पर 25.00 लाख (नियम 38B, GFAR-II) तक शिथिलता प्रदत करने के प्रस्ताव 13वीं वित्त समिति के बाद प्रस्तुत किये गये थे।
- उक्त प्रस्ताव माननीय कुलपति महोदय द्वारा आरटीयू अधिनियम की धारा 12 के अधीन अनुमित किये जाने से उक्त शिथिलता की अनुमति वित्त समिति के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किये गये। **(परिशिष्ट संख्या 6 पृष्ठ संख्या 35 से 36 तक)**

संकल्प : **समिति द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव का अवलोकन कर राशि रू. 25.00 लाख के स्थान पर राशि रू. 4.99 लाख तक के उपापन को ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया से शिथिलता अनुमित करते हुए राशि रू. 5.00 लाख व अधिक के उपापन हेतु ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया यथावत लागू करने का निर्णय लिया गया।**

वि.स.क्र. 14.7 : राजकीय नियमों के अधीन विश्वविद्यालय के संचालन के सम्बंध में :– (वित्त नियंत्रक)

- राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा का गठन आरटीयू अधिनियम, 2006 के अधीन होने से समस्त राजकीय नियम यथा RSR, GFAR, TA, Medical, GAD Rules एवं अन्य सम्बंधित नियम एवं परिपत्र आदि जो समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी किये जाते हैं, ही लागू होते हैं।
- शिक्षकों के वेतनमान एवं अन्य आनुषंगिक प्रकरणों में यू.जी.सी. और AICTE द्वारा जारी नियमों के अनुसार कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित किया गया।
- उक्त प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया।

संकल्प : **समिति द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया। साथ ही शिक्षकों सम्बंधी अन्य आनुषंगिक प्रकरणों के निस्तारण हेतु (यू.जी.सी. और AICTE के प्रावधान उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में) राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के प्रावधानों को राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 38(4) व (5) के अनुसार महामहिम कुलाधिपति के अनुमोदन उपरांत लागू करने का निर्णय लिया गया।**

टेबल कार्यसूची बिन्दु 14.1 : राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय की आवासीय कॉलोनी में निवास कर रहे अधिकारी/कार्मिक पर Perquisites के प्रावधान लागू नहीं होने के संबंध में:– (वित्त नियंत्रक)

- कुलसचिव, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के आदेश क्रमांक 19565–67 दिनांक 07.03.2009 द्वारा विश्वविद्यालय के कर्मचारी जो विश्वविद्यालय की आवासीय कॉलोनी में निवास कर रहे हैं, को आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार आवास सुविधा अनुलाभ का मूल्य आय में शामिल किये जाने संबंधी आदेश जारी कर स्रोत पर आयकर कटौती की जा रही है।
- यह प्रश्न किस परिप्रेक्ष्य और संदर्भ में हल किया जाना है, इस पर विचार–विमर्श हेतु वित्त समिति के समक्ष रखा जाना प्रस्तावित है।

संकल्प : **समिति द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव का अवलोकन कर राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय की आवासीय कॉलोनी में निवास कर रहे अधिकारियों/कार्मिकों पर सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के किराया निर्धारण एवं वसूली सम्बंधी नियम पूर्ववत् लागू होंगे तथा आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार आवास सुविधा अनुलाभ का मूल्य आय में शामिल न किये जाने संबंधी प्रकरण पर आयकर विभाग (C.B.D.T.) से लिखित मार्गदर्शन/अनुमति लिये जाने की अनुशंषा की गई।**

टेबल कार्यसूची बिन्दु 14.2 : **विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश प्रक्रिया, महाविद्यालय स्थानान्तरण, प्लेसमेंट एवं तत्सम्बंधी गतिविधियों की क्रियान्विति के दौरान विद्यालय परिसर में उपस्थित छात्र–छात्राओं को जल पान की सुविधा प्रदान करने के सम्बंध में :– (डीन स्टूडेण्ट वेलफेयर)**

डीन स्टूडेण्ट वेलफेयर द्वारा अवगत कराया गया है कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश प्रक्रिया यथा आरटीयू डेट, केम, महाविद्यालय स्थानान्तरण, प्लेसमेंट एवं तत्सम्बंधी गतिविधियों की क्रियान्विति के दौरान विद्यालय परिसर में छात्रों को आमन्त्रित किया जाता है, जिसमें छात्रों को लगभग पूरे दिवस परिसर में ही उपस्थित रहना होता है। अतः उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए डीन स्टूडेण्ट वेलफेयर द्वारा छात्रों को जलपान सुविधा उपलब्ध कराने के प्रस्ताव राशि रू. 20.00 प्रति छात्र प्रतिदिन की दर से प्रस्तुत किये हैं।

संकल्प : **समिति द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव का अवलोकन कर उक्त गतिविधियों में उपस्थित छात्रों को जलपान सुविधा संबंधित विभागाध्यक्ष/समन्वयक/संयोजक द्वारा माननीय कुलपति महोदय से पूर्वानुमति लेकर राशि रू. 20.00 प्रति छात्र प्रतिदिन की दर से व्यय किये जाने की अनुशंषा की गई।**

टेबल कार्यसूची बिन्दु 14.3 : **महाराजा कॉलेज ऑफ इन्जीनियरिंग एवं महाराजा कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, उदयपुर पर सत्र 2012–13 में देय सम्बद्धता शुल्क के विरूद्ध आरोपित शास्ति के सम्बंध में :– (निदेशक अकादमिक)**

रायॅल्स एजुकेशनल सोसाइटी, उदयपुर के अधीन संचालित संस्थान महाराजा कॉलेज ऑफ इन्जीनियरिंग, उदयपुर एवं महाराजा कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, उदयपुर द्वारा सत्र 2015–16 से उक्त महाविद्यालयों/संस्थानों को बन्द करने एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करने का अनुरोध किया गया है।
निदेशक अकादमिक द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त दोनों महाविद्यालयों/संस्थानों पर सम्बद्धता शुल्क एवं शास्ति का निम्नांकित प्रकरण सत्र 2012–13 से लम्बित चल रहा है :–

- सत्र 2012–13 हेतु विश्वविद्यालय में सम्बद्धता शुल्क जमा कराने की अन्तिम तिथि 30.12.2011 थी।
- महाराजा कॉलेज ऑफ इन्जीनियरिंग, उदयपुर द्वारा सम्बद्धता शुल्क राशि रू. 1.75 लाख (बी.टेक.) एवं राशि रू. 50 हजार (एम.सी.ए.) चैक संख्या क्रमशः 773733 वं 773735 दिनांक 28.11.2011 एवं महाराजा कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, उदयपुर द्वारा राशि रू. 50 हजार (एम.बी.ए.) चैक संख्या 774530 दिनांक 28.11.2011 के माध्यम से विश्वविद्यालय को भेजी गयी (प्राप्ति दिनांक 02.01.2012) थी।
- निदेशक अकादमिक कार्यालय द्वारा चैक से प्राप्त सम्बद्धता शुल्क

- निदेशक अकादमिक कार्यालय द्वारा चैक से प्राप्त सम्बद्धता शुल्क स्वीकृत नहीं करते हुए सम्बंधित महाविद्यालयों/संस्थानों को उक्त राशि का भुगतान डी.डी. के माध्यम से करने हेतु सूचित किया गया, जिसके क्रम में महाराजा कॉलेज ऑफ इन्जीनियरिंग, उदयपुर द्वारा सम्बद्धता शुल्क राशि रू. 1.75 लाख (बी.टेक.) एवं राशि रू. 50 हजार (एम.सी.ए.) डी.डी. संख्या क्रमशः 982554, 982553 और महाराजा कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, उदयपुर द्वारा राशि रू. 50 हजार (एम.बी.ए.) डी.डी. संख्या 982557 दिनांक 27.01.2012 को विश्वविद्यालय में जमा करा दी गई।
- उक्त डी.डी. सत्र 2012–13 हेतु विश्वविद्यालय में सम्बद्धता शुल्क जमा कराने की अन्तिम तिथि 30.12.2011 के पश्चात् जमा कराये जाने से उक्त संस्थानों पर निदेशक अकादमिक कार्यालय द्वारा सम्बद्धता शुल्क के नियमान्तर्गत सम्बद्धता शुल्क के समान शास्ति राशि रू. 1.75 लाख (बी. टेक.), राशि रू. 50 हजार (एम.सी.ए.) एवं राशि रू. 50 हजार (एम.बी.ए.) आरोपित की गई थी।
- उक्त महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा उक्त शास्ति डी.डी. संख्या 597107, 597108, एवं 597109 दिनांक 06.12.2013 से विश्वविद्यालय में जमा करा दी गई परन्तु शास्ति का भुगतान विलम्ब से प्राप्त होने पर निदेशक अकादमिक कार्यालय द्वारा पुनः शास्ति (शास्ति पर शास्ति) आरोपित की गई, जो आज दिनांक तक लम्बित है।
- निदेशक अकादमिक द्वारा निम्न बिन्दुओं पर निर्णय हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :–
  (i) उक्त महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा दिनांक 28.11.2011 को सम्बद्धता शुल्क के पेटे प्रस्तुत चैक नियमानुसार स्वीकार योग्य थे या नहीं।
  (ii) उक्त महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा दिनांक 06.12.2013 को डी.डी. के माध्यम से शास्ति राशि जमा करने के उपरांत Compound Rate (शास्ति पर शास्ति) आरोपित होगी या नहीं।

उक्त प्रकरण समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किए गये।

संकल्प : समिति द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव का अवलोकन कर महाविद्यालयों/संस्थानों पर आरोपित शास्ति को सैद्धान्तिक रूप से Waive-Off करने की अनुशंषा करते हुए वित्त–नियंत्रक को उक्त प्रकरण, का नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर माननीय कुलपति महोदय के समक्ष संबंधित पत्रावली पर निर्णयार्थ प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया।

टेबल कार्यसूची बिन्दु 14.4	:	**एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, सिस्टम एनालिस्ट पदों पर मासिक स्थिर वेतन पर कार्मिकों को अनुबन्ध संविदा पर लिए जाने के संबंध में। (कुलसचिव)**

तकनीकी शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर के माध्यम से निम्न पद अशैक्षणिक संवर्ग में विश्वविद्यालय को स्वीकृत किए गए है :–

क्र.स.	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	रनिंग पे–बैन्ड	ग्रेड पे
1	सिस्टम एनालिस्ट	01	15600–39100	7200
2	एनालिस्ट कम प्रोग्रामर	01	15600–39100	6600
3	प्रोग्रामर	02	9300–34800	4800

कुलसचिव द्वारा अवगत कराया गया है कि विश्वविद्यालय को उक्त पदों की अत्यन्त आवश्यकता है तथा पूर्व में ऐसे पद स्वीकृत नहीं होने से विश्वविद्यालय को कम्प्यूटर क्षेत्र में सेवाएं प्राप्त नहीं हो रही है।

अतः कुलसचिव द्वारा विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं को देखते हुए उक्त पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक राज्य सरकार द्वारा घोषित स्थिर मासिक वेतन पर NICSI एजेन्सी (राज्य सरकार द्वारा संविदा के लिए उक्त पदों पर कार्मिकों को अनुबंधित किये जाने हेतु अधिकृत) के माध्यम से संविदा पर लिए जाने के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये।

उक्त प्रकरण समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किए गये।

संकल्प	:	**समिति द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव का अवलोकन कर वित्त–नियंत्रक को उक्त प्रकरण का नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर माननीय कुलपति महोदय के समक्ष संबंधित पत्रावली पर निर्णयार्थ प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया।**
टेबल कार्यसूची बिन्दु 14.5	:	**विश्वविद्यालय द्वारा जारी किये जाने वाले विज्ञापनों के सम्बंध में :– (कुलसचिव)**

कुलसचिव द्वारा अवगत कराया गया है कि विश्वविद्यालय के निविदा सूचना, विज्ञप्ति इत्यादि विज्ञापन डी.ए.वी.पी. / डी.आई.पी.आर. द्वारा अनुमोदित दरों पर विभिन्न समाचार पत्रों में एवं राष्ट्रीय स्तर पर जारी किये जाने वाले विज्ञापन यथा टाइम्स ऑफ इंडिया, हिस्दुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस इत्यादि समाचार पत्र व्यापारिक दरों पर प्रकाशित किये जाते रहे हैं।

परन्तु हाल ही में दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका ने विश्वविद्यालय द्वारा जारी किये जाने वाले विज्ञापनों को डी.ए.वी.पी. / डी.आई.पी.आर. द्वारा अनुमोदित दरों से दुगनी दर पर प्रकाशित किये जाने हेतु सूचित किया है।

अतः कुलसचिव द्वारा विश्वविद्यालय के विज्ञापन हेतु निविदाओं के माध्यम से विज्ञापन एजेंन्सी को अनुमोदित प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये।

उक्त प्रकरण समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किए गये।

संकल्प : **समिति द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव का अवलोकन कर राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 व नियम 2013 के S.O.135 के बिन्दु संख्या 48 के समक्ष कॉलम संख्या 3 (बोली लगाने वालो के स्रोत/प्रवर्ग) में विनिर्दिष्ट सूचना और जनसंपर्क विभाग (डी.आई.पी.आर) के माध्यम से या डी.ए.वी.पी., डी.आई.पी.आर., संवाद (SAMVAD) से अनुमोदित दरों या S.O.135 की सूची के अन्त में दी गयी टिप्पणी संख्या 2 के अनुसार खुली निविदा के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित किये जाने का निर्णय लिया गया।**

(प्रो. विनय कुमार पाठक)
कुलपति एवं अध्यक्ष
वित्त समिति

(गजानन्द सोनी)
वित्त नियंत्रक एवं सदस्य सचिव
वित्त समिति

RAJASTHAN TECHINCAL UNIVERSITY, KOTA

REVISED BUDGET ESTIMATE 2015-16 (EXPENDITURE)

S. No.	Object Code	Object Head	Revised Budget Estimate 2015-16	
A		REVENUE EXPENDITURE (RECURRING)		
1	01	**SALARY,TA, MEDICAL REIMBURSEMENT, MEDICLAIM POLICY EXPENSES, UNIVERSITY CONTRIBUTIONS TO NPS & CPF-**		
		Salaries (including renewal premium for Gratuity and Leave Encashment fund with LIC, Univeristy contribution to CPF)	2656.85	2656.85
2	03	**TRAVELLING EXPENSES**	13.70	13.70
3	04	**MEDICAL EXPENSES**	15.00	15.00
4	87	**HEALTH INSURANCE PREMIUM (MEDI-CLAIM POLICY) WRT EMPLOYEES JOINED ON OR AFTER 01.01.2004**	3.65	3.65
5	89	**UNIVERSITY CONTRIBUTION IN CONTRIBUTORY PENSION SCHEME (NPS) WRT EMPLOYEES JOINED ON OR AFTER 01.01.2004**	40.65	40.65
6	05	**OFFICE EXPENSES**		
	5.1	General expenses for office management/maintenance (Telephone Exp, Office Exp, Printing & Stationery exp, Books & periodicals for office use)	83.00	167.50
	5.2	Postage & Courier	40.00	
	5.3	Repairs of Furniture	22.00	
	5.4	Memento Expenses	2.50	
	5.5	Contingent Expenses	20.00	
7	07	**RUNNING AND MANITENANCE OF OFFICE VECHICLES-** Maintenance of Vehicles (Bus)	2.00	2.00
8	08	**PROFESSIONAL AND SPECIAL SERVICES-**		
	8.1	Legal services/Consultancy charges/Audit Expences	4.00	990.00
	8.2	Evaluation (Theory & Practical)/Revaluation	650.00	
	8.3	Conduct of Examinations	225.00	
	8.4	Honorarium for colleges inspection	8.00	
	8.5	Guest Faculty	71.00	
	8.6	P.T.P. (Campus interview related exp	8.00	
	8.7	Payment for M.Tech and PH.d Exams	8.00	
	8.8	Expert Lectuer /Visitor for Ph.D. Programme	11.50	
	8.9	Administrative Honorarium	1.00	
	8.10	Exam and Honorarium Expenses for RTU DAT/CAM	3.50	
9	10	**PUBLICATION EXPENSES-** News Letter	3.00	3.00
10	11	**ADVERTISEMENT, SALE AND PUBLICITY EXPENSES-** Advertisement Expenses	20.00	20.00
11	13	**SCHOLARSHIP & STIPEND-** Scholarship (Teaching Asstt) for M.Tech, Scholarship (Teaching Asstt) for Ph.D. Programme	201.00	201.00

RAJASTHAN TECHINCAL UNIVERSITY, KOTA

REVISED BUDGET ESTIMATE 2015-16 (EXPENDITURE)

S. No.	Object Code	Object Head	Revised Budget Estimate 2015-16	
12	15	**SECRET SERVICE EXP. (CONFIDENTIAL EXAM WORK)-** Printing of Question Paper & Degree	200.00	200.00
13	19	**ELECTRICTY AND WATER CHARGES-** Light & Water Charges	100.00	100.00
14	21	**MAINTENANCE AND REPAIRS-**		
	21.1	Machinery and Tools repair	25.00	400.00
	21.2	Repair, Maintenance & Renovation of Building including HVC Residence	200.00	
	21.3	Repair & Maintence of Hostel/Library	100.00	
	21.4	Repair of Roads	45.00	
	21.5	Water proofing in roofs of University, class rooms, laboratories, staff quarters	20.00	
	21.6	Furnishing of Guest House	5.00	
	21.7	Maintenance & Fuel of Vehicals and DG Set	5.00	
15	22	**MATERIAL AND SUPPLIES-** Answer Books Printing & Supply	150.00	150.00
16	29	**TRAINING, TOURS AND CONFERENCE EXPENSES-**		
	29.1	Conference Expenses, Workshop & Meeting Expenses	19.00	69.50
	29.2	Student Education Training Expenses (SETE) - (including Institute Interaction with Industry, Student Activities, Technical Visit/Education Tour, Arranging lab classes at other Universitys/Institutes including loading and	50.50	
17	30	**FUNCTION AND EXHIBITIONS EXPENSES-**		
	30.1	Convocation Expenses	20.00	85.00
		Dean of Faculty Affairis		
	30.2	Faculty Development Programme	15.00	
	30.3	Expert Lecture Series	10.00	
		Dean Student Walfare		
	30.4	Techical Fest	10.00	
	30.5	ESF Fund	10.00	
	30.6	Games & Sports	10.00	
	30.7	Cultural Fest	10.00	
18	33	**LABORATORY EXPENSES-** Lab Consumables	10.00	10.00
19	36	**HIRING CHARGES OF VEHICLE**	50.00	50.00
20	37	**LIVERIES AND OTHER FACILITIES**-Liveries	2.00	2.00
21	41	**CONTRACUAL EXPENSES FOR OUTSOURCING STAFF-**		
	41.1	Pre & Post Exam (Job Work)	200.00	500.00
	41.2	Hiring of Machine with Men, Hiring of peons, Security Services, Gardening & Land Scaping, Cleaning and sweeping	300.00	
22	43	**EMPLOYEES AND STUDENTS WELFARE EXPENSES-** Group Insurance Staff/Students	3.00	3.00

RAJASTHAN TECHINCAL UNIVERSITY, KOTA

REVISED BUDGET ESTIMATE 2015-16 (EXPENDITURE)

S. No.	Object Code	Object Head	Revised Budget Estimate 2015-16	
23	57	**EXPENSES ON SPECFIC SERVICES -** Accredation & 12B Recognisation & fees to other professional bodies (AICTE etc)	30.00	30.00
		TOTAL A	**5712.85**	**5712.85**
B		**REVENUE EXPENDITURE (NON-RECURRING)**		
24	05	**OFFICE EXPENSES-**		
		Purchase of all type of Furniture-(Student/Faculty/Hostel/Office and any type of furniture)	135.00	135.00
25	31	**EXPENSES ON LIBRARY AND PERIODICALS (BOOKS, JOURNALS, MAGAZINS/OTHER PERIODICALS FOR LIBRARIES)**		
	31.1	E-resources Library	58.00	100.00
	31.2	Library Books & Foreign Journals	42.00	
26	62	**COMPUTERISATION AND RELATED COMMUNICATION EXPENSES-**		
	62.1	Computerisation/Automation of Accounting system	56.00	216.00
	62.2	CCTV In Q P Locker other Security Arrangements	5.00	
	62.3	Software Devlopment-Anti Plagrisum software	5.00	
	62.4	Softwares	150.00	
		TOTAL B	**451.00**	**451.00**
C		**CAPITAL EXPENDITURE**		
27	06	**PURCHASES OF VEHICLES-** PURCHASE OF CAR	10.00	10.00
28	16	**MINOR WORKS** (Constructions not more than 50 lacs)		
	16.1	Boundary wall construction on river side of University & strengthening of boundry wall along soyaben	20.00	135.00
	16.2	Creation of General Aminities	20.00	
	16.3	Games & Sports Infrastructure	50.00	
	16.4	Convention Centre/Centre for excellence	10.00	
	16.5	Construction of OHT & GWR	10.00	
	16.6	Construction/Renovation of Guest House	25.00	
29	17	**MAJOR WORKS** (Constructions more than 50 lacs)		
	17.1	Development Work (Electrical & Civil, Horticulture/Sewer/Water etc. (Civil, Electrical, Horticulture)	30.00	1030.00
	17.2	Construction of Computer & I.T. Department	200.00	
	17.3	Boys Hostel and Girls Hostel for PG Students (250+50=300)	550.00	
	17.4	Extension of Library	100.00	
	17.5	Construction of Petroluem and Aeronautical Engg. Deptt. lab	150.00	
	17.6	Construction of Lecture Theatre		

RAJASTHAN TECHINCAL UNIVERSITY, KOTA

REVISED BUDGET ESTIMATE 2015-16 (EXPENDITURE)

S. No.	Object Code	Object Head	Revised Budget Estimate 2015-16	
30	18	**MACHINERY AND EQUIPMENTS/TOOLS AND PLANTS (METP)-**		
	18.1	Computer, Laptops, Server, Networking Strong Server & WiFi	440.00	1200.00
	18.2	Teaching Learning aids & Multimedia rooms in each department	10.00	
	18.3	Equipment Aeronotical & Petroleum (New departments)	90.00	
	18.4	Machinery/Lab Equipment	400.00	
	18.5	Office Equipment	10.00	
	18.6	Furnishing School & Language lab equipments	40.00	
	18.7	Airconditioning	75.00	
	18.8	Aircooling	125.00	
	18.9	Automation Library	10.00	
31	72	**MODERNISATION, STRENGTHENING, RENOVATIONA AND UPGRADATION EXPENSES-** Moderization of Classrooms and Faculty	75.00	75.00
		TOTAL C	**2450.00**	**2450.00**
		Grant Total A+B+C	**8613.85**	**8613.85**

Note:-

1	बजट मैन्युअल के प्रावधान (बिन्दु संख्या 23.8.3) के अनुसार **Outlay** की सीमांतर्गत शीर्षो में निधियों का हस्तांतरण वित्त नियंत्रक के परामर्श पर माननीय कुलपति महोदय द्वारा किया जाएगा।
2	विशेष परिस्थितियों में **Outlay** शीर्षो के बाहर स्वीकृति बजट नियंत्रण अधिकारी के रूप में माननीय कुलपति महोदय द्वारा आरटीयू अधिनियम, 2006 की धारा 12(6) में अनुमित की जाएगी, जिसे अनुवर्ती वित्त–समिति में अनुमोदित/प्रतिवेदित किया जाएगा।

RAJASTHAN TECHINCAL UNIVERSITY, KOTA

Abstract of Estimated Own Income

Rs in Lacs

Sr. No.	Head of Income	Actual Income 2011-12	Actual Income 2012-13	Actual Income 2013-14	Sanctioned Estimate 2014-15	Actual Income upto Dec-2014	Revised Income 2014-15	Income Estimate 2015-16
1	**Fee Income**							
1.1	Income from student admission/course fee							
	B. Tech.	677.60	601.83	773.74	1187.67	777.89	1039.17	1200.18
	MBA	51.62	31.23	5.19	29.70	0.00	29.70	29.70
	M. E./M Tech.	58.91	294.40	72.22	218.40	22.00	192.00	216.00
	Ph.D. FEE	5.77	0.94	4.13	1.50	11.04	5.80	3.26
1.2	Income From Hostel	32.78	35.30	46.14	45.00	49.82	47.20	47.20
1.3	Affiliation fee/Increase Intake Fee	444.21	430.65	355.05	345.00	9.43	380.75	357.00
1.4	Inspection fee	58.40	50.10	49.35	45.60	23.32	50.85	76.25
1.5	Penalty fee	74.29	77.50	11.75	10.00	54.25	63.50	25.00
1.6	NOC Fee	0.00	0.00	8.50	0.00	9.25	0.00	0.00
1.7	Development Fee	568.53	1264.58		1200.00	1000.00	1200.00	800.00
1.8	Enrollment Fee	100.23	106.41		150.00	100.00	100.00	90.00
1.9	**Examination Fee**							
	B Tech/ M.E./M. Tech.	2356.85	4266.89		4000.00			
	MBA	166.32	230.49		200.00	3100.00	4200.00	3600.00
	MCA	3.12	135.69	6510.30	80.00			
1.10	Revaluation fees	124.78	142.38		110.00	320.00	450.00	400.00
1.11	Improvement fee	45.36	75.74		100.00	25.00	30.00	25.00
1.12	Migration fees	3.19	8.00		3.50	12.00	15.00	15.00
1.13	Miscellanous	71.72	97.04		150.00	25.00	31.00	31.00
1.14	Inspection of Answer Books	0.00	100		100.00	25.00	30.00	25.00
1.15	Fee-PHD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	5.48
2	**Interest on FDR's**	712.18	1077.19	1039.30	1247.50	1225.09	1605.40	1600.00
3	**Income from Guest House**	0.51	0.78	0.59	0.60	0.01	0.17	0.25
4	**Income from Rent**	9.67	4.97	4.82	6.00	3.34	5.29	5.53
5	**Miscellaneous Income**	1.38	2.11	3.34	2.00	1.99	0.31	0.40
6	**Convocation Income**	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	1.05	1.16
7	**Recruitment Application Form Fees**	0.00	0.00	0.00	0.00	8.06	8.10	0.00
8	**RTI**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.04	0.03
9	**Vehicle Charges**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.51	0.50
10	**CAM Fees**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
	Total	5567.42	9034.22	8884.42	9232.47	6804.35	9485.84	8613.94